न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—16/2017/223 (2017/00016)

1. घासी पुत्र हीरा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कमला पत्नी घीसा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र हीरा,
2. बलदेव पुत्र हीरा,
   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर ।
3. गिरधारी पुत्री देवा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती अमरी पुत्री देवा पत्नी सहदेव, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती पानी पत्नी देवा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
6. सहदेव पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आखरी, तहसील व जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ।
8. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिलोनिया जरिये शाखा प्रबंधक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 3.1.2017 अंतर्गत वाद संख्या 54/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामदेव गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6.
3. रेस्पो0 संख्या 78 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 .

निर्णय

दिनांकः— 23.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.1.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ में स्थित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खाता संख्या 59 जिसके खसरा नंबर 40/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है जिसका मौके पर विभाजन नहीं हो रखा है एवं संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है । इसी प्रकार खाता संख्या 90 के खसरा नंबर 40, 95, 96, 97, 168, 235 कुल किता 6 कुल रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का खसरा नंबर 95, 96, 97, 168, 235 में 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का खसरा नंबर 40 में 1/2 हिस्सा है जिसका भी विभाजन नहीं हुआ है । इसलिये वादपत्र के पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी का बंटवारा नहीं होने से आये दिन विवाद होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर वादपत्र में दर्शाये अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित की जावे । उक्त वाद दिनांक 11.5.2016 को दर्ज किया गया । अपीलांटस की ओर से उनके अभिभाषक ने दिनांक 11.7.2016 को अभिभाषक पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिन्हें आगामी तारीख पेशी दे दी गई लेकिन पत्रावली में अन्य तारीख पेशी अंकित कर प्रतिवादी/अपीलांटस की एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 30.8.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । जिसकी जानकारी होने पर अपीलांटस ने आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर एकपक्षीय डिक्री दिनांक 30.8.2016 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2016 को खारिज कर दिया । जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 27.12.2016 को प्रस्तुत की गई । न्यायालय हाजा द्वारा अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब करने के आदेश पारित किये गये इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.1.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 14.12.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी थी जिसकी जानकारी अधी0न्याया0 को दे दी गई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया एव ना ही आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अधी0न्याया0 ने दिनांक 30.8.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की थी जिसमें कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया था लेकिन तहसीलदार किशनगढ़ ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की बल्कि पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अधी0न्याया0 को भिजवाई है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट को निरस्त कर तहसीलदार स्वंय द्वारा रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर मौके पर उनकी उपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा सभी खातेदारों को अपने खेतों के लिए रास्ता कायम

किया जाता है लेकिन अधी0न्याया0 ने अपीलांट की गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 को पारित की थी तो फिर अंतिम पारित करने से पूर्व वैसे भी अपीलांट को नोटिस दिया जाना चाहिये था इसके बावजूद मन चाहे अनुसार कुरेजात रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार करवाई जाकर उसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अंकित हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तथा नक्शा ट्रेस में प्रत्येक के हिस्से को अलग–अलग कायम कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे लेकिन अगर पटवारी हल्का के द्वारा जो कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अपीलांट संख्या 1 व 2 को एक ही हिस्सा दर्ज कर कुरेजात रिपोर्ट भेजी गई है जबकि दोनों के हिस्से अलग अलग है तथा शेयर अनुपात भी अलग–अलग है लेकिन दोनों का एक ही हिस्सा बनाकर हिस्सा दर्ज कर दिया और बराबर–बराबर का खातेदार होना बताया है जबकि कमला का हिस्सा विवादित आराजी में 1/2 व 1/4 बनता है और अपीलांट संख्या 1 का हिस्सा 1/6 व 1/12 है । इसके बावजूद दोनों अपीलांटस का एक ही हिस्सा कायम कर दिया जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.1.2017 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.1.2017 विधिसम्मत् है । तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकारान के हिस्से में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि के विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित की है । उक्त प्रस्ताव में सभी पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के समुचित हिस्से निर्धारित किये गये है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था जो आदेशिकाओं से स्पष्ट है । अपीलांटस का यह कथन कि तहसीलदार ने पटवारी हल्का के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को अधी0न्याया0 को भिजवाया है जबकि वह अपने कर्तव्यों को डेलीगेट नहीं कर सकते है यह आपत्ति प्रथम दृष्टया ही स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि बंटवारा प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा मौके अनुसार तैयार कर भिजवाये गये है । अपीलांटस ने विवादित आराजियात के बंटवारा की कार्यवाही में विलंब करने के उद्देश्य से यह अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 30.8.2016 को वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की थी तत्पश्चात् कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 3.1.2017 को वाद में अंकित डिक्री पारित की है । अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध अधी0न्याया0 में की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 को अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय दिनांक 14.12.2016 को निरस्त किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 516/2016/225 बउनवान घासी बनाम नेमीचन्द व अन्य प्रस्तुत की गई थी जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23.11.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 एवं पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । चूंकि अधी0न्याया0 द्वारा

अंतिम डिक्री दिनांक 3.1.2017 प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 के आधार पर पारित की गई है इसलिये जब प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 निरस्त हो चुकी है तो उसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 3.1.2017 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिांक 3.1.2017 निरस्त योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.1.2017 निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर